न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व दरखवास्त संख्या : 39/2012

सायल :- बनाम गै0सा0 :-

1. पुखनाथ पुत्र शिवनाथ
जाति-नाथ, निवासी-बाजाकुडी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. कालूराम पुत्र धन्नाराम
2. पुखाराम पुत्र उदाराम
3. मिश्रीलाल पुत्र जीयाराम
4. जयराम पुत्र जीयाराम
5. अणदाराम पुत्र हापूराम
6. भंवरलाल पुत्र रामाराम
7. शंकरलाल पुत्र जोगाराम
8. हापूराम पुत्र चौथाराम
9. भंवराई पत्नी हापूराम
जातियान-कुमावत,निवासी-बाजाकुडी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
10. मोकलीदेवी पत्नी पूसाराम
11. लाबूराम पुत्र सूजाराम
जातियान-जाट निवासी-बांजाकुडी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
12. गीता पत्नी भैराराम प्रजापत
निवासी-बाजाकुडी
13. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.16.02.2012

उपस्थित:- 1. श्री देवाराम कटारीया एवं श्री नितेश चौहान, अधिवक्तागण, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 15/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बांजाकुडी, पटवार हल्का-बांजाकुडी तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में खसरा नम्बर 879 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही अलीफ कब्जे काश्त की सायल व गैरसायलान की शामलाती कब्जा काश्त की आई हुई हैं। जमाबंदी साथ पेश की हैं। उक्त कृषि भूमि 5 बीघा 01 बिस्वा हैं तथा मुख्य सडक पर आई हुई है। गैरसायल संख्या 01 से 12 झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। उक्त भूमि के मुख्य भाग पर जबरन कब्जा करने की योजना बनाई व जमीन के भाव बढ जाने व सम्पूर्ण खसरा तरमीम नही होने का फायदा उठाकर जबरन अपने हिस्से ज्यादा जमीन के पीछे का कब्जा खालीकर मुख्य भाग पर आकर सायल के कब्जे काश्त की भूमि में नीवें खोदने लग गये व सैकडों मजदूर लगाने की योजना बनाई जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नही हैं। दिनांक 15/02/2012 गैरसायल संख्या 01 से 12 एक राय होकर आये तथा कहा कि कब्जा खाली करों तथा जबरन 10-15 मजदूर साथ लाकर नीवें खोदनी शुरु कर दी तथा कहा कि उक्त जमीन में हम निर्माण करके पक्की दिवार बनायेगें। यदि गैरसायलान ऐसा करने में सफल हो, तो सायल व उसके परिवार को असीम क्षति होगी व रास्ता बंद हो जायेगा व मुख्य भू-भाग पर कब्जा किया तो सायल व उसका परिवार ऐसा नहीं होने देगें, जिससे मौके पर खुन खचर होगा तथा सायल ने उनसे कानूनन माफिक हिस्से अनुसार बंटवाडा करने का कहा तो उन्होंने ऐसा करने से मना कियाव जबरन सडक पर बिना बंटवाडे के बिना नाप चौप के कब्जा करने की एलानिया धमकी दी व खेत में घुसकर नीवें खोदनी शुरु कर दी। सायल गरीब व कमजोर व वृद्ध व्यक्ति हैं। सायल उनसे विरोध नहीं कर सकता हैं। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। सायलान रेकर्डेड खातेदार हैं। बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने के अधिकारी हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाड़ा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों दस्तावेजात व मौके पर सायल के पक्ष में प्रमाणित हैं। यदि गैरसायलान ने सायल को जबरदस्ती उसके हक हिस्से की आराजी से बेदखल कर दिया तो अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूंल्याकन मुद्रा में नही किया जा सकता हैं। इसलिये सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बांजाकुड़ी में पेश हुई। गै0सा0 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गै0सा0 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16/02/2012 को जारी की गई हैं। उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व सरहद मौजा-बांजाकुडी, पटवार हल्का-बांजाकुडी तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में खसरा नम्बर 879 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही अलीफ की भूमि सायल के कब्जे काश्त एवं शामलाती कृषि भूमि में गै0सा0 के कोई दखलन्दाजी / रद्दोबदल / वरिवर्तन करने से न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 16/02/2012 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बांजाकुड़ी पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner